न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या – 83/2021

मधुसूदन उराँव .... आवेदक

बनाम

विशेश्वर .... विपक्षी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती मधुसूदन उराँव .... पिता/पति स्व० महेन्द्र उराँव .... निवास, ग्राम बेकु कलोनी कुन्दरिया .... थाना गुमला .... जिला गुमला ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिकी करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एंव संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़)
कुन्दरिया	गुमला 24	33	475	1.90 एकड़ में से 0.10 एकड़

(दस डिसमील)

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित केता श्री/श्रीमती विशेश्वर .... पिता/पति सोहराई .... निवासी ग्राम डुमरला .... थाना गुमला .... जिला गुमला को राशि रूपये 7,00,000/- (सात लाख रूपये मात्र) .... पर बिकी करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रूपये की आवश्यकता है, रूपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिकी कर रहे है। अंचलाधिकारी गुमला .... को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एंव आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला .... के कार्यालय के पत्रांक 59 .... दिनांक 05/8/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिकी करने के लिए अनुमति

प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा,एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के ......उराँव...... है, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी ......गुमला...... के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती ......[illegible] उराँव......
पिता/पति स्व० महेन्द्र उराँव ...... निवासी ग्राम [illegible] कलोनी दुन्दुरिया
थाना ......गुमला...... जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा ......अनुमति...... प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एंव संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़)
दुन्दुरिया	गुमला 44	33	475	1-90 ए० में से 0.10 ए०
	(कुल रकवा दस डिसमील)			

चौहदी - उत्तर- कच्चा रास्ता
दक्षिण- नीज बिक्रेता
पूरब- प्रफुल्लित लवलीना मिंझ का जमीन
पश्चिम- पलकु उराँव का जमीन

लेखापित एव संशोधित

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,
गुमला।

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,
गुमला।